

फर्द अहकाम

माल्य सहायक कलक्टर बस्ती जं. जयपुर

राजेश नारायण बनाम अर्जुन

दमा संख्या/वर्ष : 35/2022

विशेष विवरण

क्र०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	
		<p>एक तरफ कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है अतः अप्रार्थी सं. 7 लग 12, 14, 16 लग 26, 28 लग 33 के विकट एक तरफ कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी अधिवक्ता की अप्रार्थी सं. 27 का रसी. नोटिस पेश करने की दिवायत दी जाकर पत्रावली दिनांक 01/08/24 को पेश है।</p> <p style="text-align: right;"><u>लगा</u></p> <p>01/8/24 पत्रावली पेश हुई प्रार्थी अधिवक्ता एवं अप्रार्थी सं. 1 लग 6 के अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी (सतिवारी) सं. 27 के विकट शूल वादपत्र में समयत तामील मानी जाकर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है अतः इस प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी सं. 27 के विकट एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। उभयपक्ष अधिवक्ता की मा. पत्र अस्थापी निषेधाज्ञा पर बहल हुनी गई पत्रावली पर उपलब्ध विकारों का अक्लोकन करने एवं हौराने बहल जादिर</p>	

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर बस्ती जयपुर

गणेश नारायण बनाम अरुन

मुकदमा संख्या/वर्ष : 35 / 2022

क्र०स०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
--------	---------------------------	----------------------

तथ्यों पर मनन करने के उपरान्त उभयपक्षों को जरूरी अस्थांकी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि विवादित आराजी खलरा नं: 14/ रकबा 4.3752 हेक्टर स्थित ग्राम लालगंठ पं-ह लालगंठ तह-बस्ती जयपुर पर उभयपक्षों में एक एक रिकार्ड की यथास्थिति ताकतवादा के बनाये रखे एवं काश्त एवं आवागमन में बाधा ना डाले।

पत्रावली के सल जुमा 11 दिसंबर से कम दोहरों बाद तकमील दाखिल दफ्तर होना।

लाल